कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी

दिनांक –08.08.2020

क्रमांक–शिविरा/मुमाशि/बून्दी/संस्था–1/प्र.शा.सहा.ग्रेड III/नियुक्ति/132

–:कार्यालय आदेश:–

श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक:–शिविरा /माध्य / संस्था/एफ–1/12102/प्र.शा.स. ग्रेड III/सी.म./2017–18/दिनांक 01.08.2020 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,जयपुर द्वारा **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III** भर्ती परीक्षा–2018 में अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित उपरान्त बून्दी जिले को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित **नॉन टीएसपी क्षेत्र** में अभ्यर्थियों को राज.सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017, **पे–मैट्रिक्स लेवल एल–8** में **प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III** के पद पर **2 वर्ष** की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी(प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय (फिक्स रेमूनरेशन) पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कार्यग्रहण करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक **फिक्स रेमुनरेशन** रूपये 18500/– के रूप में देय होगा।परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महँगाई भत्ता,मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता,महंगाई वेतन(डीपी), विशेष वेतन,बोनस आदि देय नही होगा साथ ही इस अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नही होगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी। इनके द्वारा प्रोबेशन अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त संस्थाप्रधान द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर इन्हें पद का प्रारंभिक वेतन नियमानुसार स्थाईकरण उपरान्त नियमित किया जायेगा।

इन्हें **दिनांक** 18.08.2020 तक **पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण** करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने की दशा में इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

सम्बंधित संस्थाप्रधान/कार्यालय अध्यक्ष सम्बंधित अभ्यर्थियों को पदस्थापन पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:–

1. इस आदेश में वांछित शपथ पत्र,प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र,पुलिस चरित्र सम्बंधित सदाचरण रिपोर्ट संबंधित अभ्यर्थी की मूल पत्रावली में उपलब्ध है, का सत्यापन करें। अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित से प्राप्त करें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। **इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।** पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 50/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ 7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।
4. संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावे।
5. संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक,आयु,जाति आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजो की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे। कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर स्थानीय कार्यालय को सूचित करते हुये अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेंगे।
6. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा विवाह तिथि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व कि है, तो तत्सम्बंधी आशय का 50/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्राप्त करें।
7. आपके स्तर पर यह भी जाँच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:–
   - I. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया है " अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिये।" यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानीय कार्यालय को भिजवाये।
   - II. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी

किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाये। आवेदनपत्र स्थानीय कार्यालय को वापिस लोटा देवें उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चिता आप आपने स्तर पर करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानीय कार्यालय को भिजवाये।

8. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा सम्बधी शपथ पत्र प्राप्त करें।

9- राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतःजिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बधित अभ्यर्थी से इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के संबध मे 50/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेवे कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नही पाए गए तो उनका चयन/नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करने सम्बधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

10- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क.2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने सम्बंधी वचनबद्धता(UNDERTALING) शपथ पत्र प्राप्त करें

11- सम्बधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बधित अभ्यर्थी का मूल आवेदनपत्र पर चस्पा छाया चित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चिता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करें जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र(फोटो) चस्पा है।

12- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 के प्रकरण में माननीय न्यायलय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्याधीन रहेंगे।

(प्रहलाद मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी
दिनांक–08.08.2020

क्रमांक–जिशिअ/मु0मा0/बून्दी/संस्था–1/प्र.शा.सहा.ग्रेड III/नियुक्ति/132

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

01. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. श्रीमान् शासन उप सचिव,कार्मिक (क–2) विभाग,राजस्थान जयपुर।
03. श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
04. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
05. श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा।
06. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बून्दी।
07. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारम्भिक) बून्दी
09. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बून्दी,हिण्डोली,नैनवां,तालेडा,के0पाटन।
10. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि /रामावि /बालक/बालिका/ .... जिला–बून्दी को देकर लेख है कि आप स्थानीय कार्यालय से संबंधित अभ्यर्थी का आवेदनपत्र संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करे तत्पश्चात ही संबंधित के दस्तावेजो का आवेदनपत्र से मिलान करके ही कार्यग्रहण करवाये।
11. विभागीय साईट पर अपलोड की गई।
12. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय।
13. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) बून्दी

क्रमांक – जिशिअ/मुख्या/बून्दी/संस्था-1/नियुक्ति/प्रयो.शा.सहा.ग्रेड-III/2020-21/132 दिनांक– 08.08.2020

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक शिविरा/ माध्य/संस्था/ साप्र/एफ–1/12102/प्र.शा.स. ग्रेड III/सी.भ./2017–18/दिनांक 01.08.2020 के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा भर्ती 2018 द्वारा प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III के पद पर चयनोपरान्त दिनांक 08.08.2020 को आयोजित काउंसलिंग मे स्वयं अभ्यर्थी द्वारा दिये गये सहमति पत्र के आधार पर जारी पदस्थापन आदेश।

S.No.	Merit_No	PHOTO	Name	Father Name	GENDER	HCAT	BIRTHDATE	SELECTED_CATEGORY	APPOINT SCHOOL ADDRESS	BLOCK
1	893		PRIYANKA	MOTI RAM SAMOTA	Female		19-May-99	OBC	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NEAR POLICE STATION MAIN MARKET TALERA (222281), TALERA (08230405612)(BUNDI)	TALERA
2	939		SANTOSH PRAJAPAT	SHARVAN KUMAR PRAJAPAT	Female		01-Sep-95	OBC	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NAINWAN (222262), NAINWA (08230321406)(HINDOLI)	NAINWA
3	1098		RAVINA	RAM SINGH	Female		02-Feb-97	MBC	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL WARD NUMBER TEN KESHORAI PATAN (221632), K.PATAN (08230232903)(KESHORAIPATAN (SC))	K.PATAN

4	102		JITESH JINDAL	MUKESH KUMAR JIONDAL	Male		09-09-2K	GEN	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DEI (222252), NAINWA (08230315541)(HINDOLI)	NAINWA
5	159		SURENDRA SHARMA	SATYA NARAYAN GAUTAM	Male		09-Jan-93	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SILOR (222303), BUNDI (08230501107)(BUNDI)	BUNDI
6	397		RAJESH KUMAR MEENA	SAWALA MEENA	Male		10-Dec-96	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NAINWAN (222263), NAINWA (08230322304)(HINDOLI)	NAINWA
7	454		GAURI SHANKAR SHARMA	MOHAN LAL SHARMA	Male		27-Sep-96	GEN	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL HINDOLI (222228), HINDOLI (08230105629)(HINDOLI)	HINDOLI
8	457		KULDEEP SHARMA	SHIV SHAY SHARMA	Male		08-Jul-95	GEN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADA NAYA GAON (222234), HINDOLI (08230108709)(HINDOLI)	HINDOLI

9	608		DHARMBIR YADAV	KAILASH CHANDRA YADAV	Male		24-Oct-95	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL TALERA (222280), TALERA (08230405611)(BUNDI)	TALERA
1 0	666		UJJAWAL POONIYA	BHARAT SINGH POONIYA	Male		04-May-97	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOWARA (221550), HINDOLI (08230120415)(HINDOLI)	HINDOLI
11	688		BHARAT MALAV	RAJENDRA KUMAR MALAV	Male		10-Jul-93	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAPREN (221631), K.PATAN (08230231802)(KESHORAIPATAN (SC))	K.PATAN
1 2	694		ADARSH KUMAR JANGID	KISHAN GOPAL JANGID	Male		03-03-2K	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUDHANATHAWATAN (222307), BUNDI (08230501908)(BUNDI)	BUNDI
13	725		RAHUL YADAV	SUWA LAL YADAV	Male		01-Jan-99	OBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL VIJAYGARH (221539), HINDOLI (08230115107)(HINDOLI)	HINDOLI

14	1148		SONU MEENA	FORU LAL	Male		05-Aug-98	ST	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GOTHARA (221557), HINDOLI (08230123619)(HINDOLI)	HINDOLI
15	2384		DINESH KUMAR VERMA	SURESH VERMA	Male		01-Feb-97	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DABI BUNDI (222268), TALERA (08230401205)(BUNDI)	TALERA
16	3795		SUDHIR VERMA	HUKUM CHAND VERMA	Male		15-May-98	SC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LAKHERI W.N. 15 (221624), K.PATAN (08230227701)(KESHORAIPATAN (SC))	K.PATAN

(प्रहलाद मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बून्दी